26/5/21 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप. उभयपक्षीय अधि. की बहस प्रा.पत्र धारा 10 C.P.C पर सुनी गई। विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। चूंकि धारा 10 C.P.C में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण की कार्यवाही नहीं करेगा जहां समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद्य-विषय पर पूर्व में मुकदमा/दावा विचाराधीन है। वर्तमान प्रकरण में इन्हीं भूमियों के बटवारे के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य एक अन्य दावा दिनांक 18/06/21 से दावा सं. 112/2021 विचाराधीन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अतः वर्तमान वाद धारा 10 C.P.C से प्रभावित होने से सुनने योग्य न होने से खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

[signature]